भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3627
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएमवाई के अंतर्गत लाभार्थी
3627. डॉ. धर्मवीर गांधीः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत पंजीकृत किसानों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्येक वर्ष पीएमकेएमवाई के अंतर्गत आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पीएमकेएमवाई के अंतर्गत पंजीकृत लघु और सीमांत किसानों के राज्यवार वितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई)", एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, कुछ अपवर्जन मानदंडों के साथ रुपए 3000/- की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाना है। इस योजना में अंशदान की राशि, किसानों की इस योजना में शामिल होने के समय आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर है। पीएमकेएमवाई के तहत, धनराशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है और पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वितरित की जाती है।

यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू की गई थी और दिनांक 25.11.2024 तक, 24.66 लाख से अधिक किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। राज्य-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबन्ध

दिनांक 25.11.2024 तक, पीएमकेएमवाई के तहत पंजीकृत किसानों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल योग
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	521
2	आंध्र प्रदेश	32,350
3	अरुणाचल प्रदेश	2,375
4	असम	13,502
5	बिहार	3,45,038
6	चंडीगढ़	530
7	छत्तीसगढ	2,02,734
8	दिल्ली	354
9	गोवा	150
10	गुजरात	66,491
11	हरियाणा	5,74,467
12	हिमाचल प्रदेश	3,561
13	जम्मू और कश्मीर	1,26,577
14	झारखंड	2,53,105
15	कर्नाटक	49,721
16	केरल	1,350
17	लद्दाख	114
18	लक्षद्वीप	72
19	मध्य प्रदेश	1,17,307
20	महाराष्ट्र	80,393
21	मणिपुर	590
22	मेघालय	729
23	मिजोरम	301
24	नागालैंड	1,182
25	ओडिशा	1,57,342
26	पुदुचेरी	146
27	पंजाब	13,040
28	राजस्थान	38,913
29	सिक्किम	34
30	तमिलनाडु	1,10,582
31	तेलंगाना	9,719
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	287
33	त्रिपुरा	831
34	उत्तर प्रदेश	2,51,976
35	उत्तराखंड	2,148
36	पश्चिम बंगाल	8,098
	कुल	**24,66,630**

****